1919 का भारत सरकार अधिनियम

1919 का भारत सरकार अधिनियम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना संबंधी घोषणा का प्रतिफल था। इसे भारत के तत्कालीन राज्य सचिव मांटेग्यू और वायसराय चेम्सफॉर्ड द्वारा तैयार किया गया था। जिस कारण इसे माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के कानून की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता हैः–

- इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा केन्द्र और प्रांतों के बीच वैधानिक और प्रशासनिक विषयों का बंटवारा किया गया तथा दोनों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केन्द्रिय और एंकात्मक ही रहा।
- प्रांतों में नई प्रकार की शासन पद्धति की व्यवस्था की गई जिसे डायर्की अर्थात द्वैध शासन कहा जाता है। इस पद्धति में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गर्वनर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधानपरिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गर्वनर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधानपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी।
- प्रांतों के विधान परिषदों का पुर्नगठन किया गया। इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया। विधानपरिषदों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई।
- इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी में भी भारतीय सदस्यों की संख्या में बढोतरी की गई।
- इस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। इसके द्वारा केन्द्रिय विधानपालिका में दो सदनों की व्यवस्था की गई। उपरी सदन को राज्यों की परिषद और निचले सदन को लोक सभा का नाम दिया गया।
- केन्द्रिय विधानपालिका के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया। उन्हें प्रस्ताव रखने, बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वे सरकार की आलोचना कर सकते थे और बजट पर बहस भी कर सकते थे।
- इस अधिनियम द्वारा इंगलैण्ड में भारत के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई।

- इसने साम्प्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचकों के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया।
- इसके द्वारा संपति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया।
- इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केन्द्रिय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया।

ब्रिटेन की सरकार द्वारा लागू 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारतीयों को प्रशासन की प्रत्येक शाखा से संबध करने और क्रमिक रूप से भारत में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की ओर सम्भवतः पहला प्रयास था। लेकिन भारतीय विद्वतजनों द्वारा इसकी काफी आलोचना हुई। लेकिन फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अधिनियम लागू होने के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीयों को भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके प्रभावस्वरूप साइमन कमीशन द्वारा 1929 में एक प्रतिवेदन ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी श्वेत पत्र 1933 में जारी हुई तथा अंततः 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ, जिसका महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव आजाद भारत के संविधान पर परिलक्षित होता है।